दिनांक: 11-09-89 को कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में मौका मुआयना पश्चात संस्तुति का कार्यवृत्त:-

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु 26.5 एकड़ राजकीय भूमि एवं 142.8378 एकड़ नाप भूमि का चयन किया गया था जिसमें से राजकीय भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया है नाप भूमि 142.8378 एकड़ के अधिग्रहण के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा - 6/17 की कार्यवाही हो चुकी है ।

शासन के पर्वतीय विकास विभाग अनुभाग- 7 के अर्ध शासकीय पत्र सं0: 3162/28-7-20-1/88 दिनांक: 24-7-89 में यह अपेक्षा की गई कि नाप भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है उसमें से कुछ कमी किया जाना शासन के विचाराधीन है । जिसके लिये सभी पहलुओं पर विचार करके संस्तुति दिये जाने हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के निर्देश पर निम्न अधिकारियों ने मौका मुआयना किया-

1- श्री उत्पल कुमार सिंह, परगनाधिकारी, रानीखेत ।
2- श्री रामेश्वर दयाल, अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खण्ड, सा0नि0वि0, रानीखेत ।
3- श्री एम0 के0 रिजवी, संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पर्व0 क्षेत्र, पौड़ी गढ़वाल ।

कुमाऊँ इंजिनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में से कुछ भूमि की अनुपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए, उसे छोड़े जाने हेतु अधिकारी मौके पर मुआइना, उपलब्ध अभिलेखों को भली-भाँति देखने, कुछ स्थानीय हितबद्ध व्यक्तियों से बातचीत करने एवं परस्पर विचारोपरान्त निम्न संस्तुति करते हैं ।

1- ग्राम छटोली में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के दक्षिण दिशा में कुछ ऐसी भूमि है, जो अधिक ढालू है, एवं उसमें काफी बड़े-बड़े गड्ढे भी है, जिसपर कोइ निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है, और छोड़ी जा सकती है । तथा उत्तर में रानीखेत से द्वाराहाट आने वाली सड़क के उपरी भाग में स्थित भूमि भी छोड़ी जा सकती है । इस प्रकार छोड़े जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ है जिसका विवरण संलग्न- 1 में दिया गया है ।

2- अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के पूर्व में रानीखेत से द्वाराहाट आने वाले मोटर मार्ग के पूर्व में ग्राम- भौरा की कुल 4.5434 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जानी थी, को भी छोड़ा जा सकता है, जिससे इंजी0 कालेज के निर्माण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह भूमि 4.5434 एकड़ है, जिसका विवरण संलग्न- 2 में दिया गया है ।

परस्पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह संस्तुति की जाती है कि उपर्युक्त 2 ग्रामों की 3 स्थानों पर लगभग 10 एकड़ + 4:5434 एकड़ = 14:5434 एकड़ भूमि यदि अर्जन से मुक्त कर दी जाती है, तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव कुमायूँ इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण पर नहीं पड़ेगा । इस संस्तुति के सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने पर लगभग 14·5434 एकड़ भूमि का सरकार द्वारा डी-नोटिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा ।

उपर्युक्त भूमि का अर्जन न करने के पश्चात कुमायूँ इंजी० कालेज, द्वाराहाट के निर्माण हेतु कुल 26:5 एकड़ + 128:2944 एकड़ = 154·7944 एकड़ भूमि उपलब्ध रहेगी, जो वर्तमान एवं निकट भविष्य में विस्तार हेतु पर्याप्त होगी ।

ह0/- अस्पष्ट	ह0/- अस्पष्ट	ह0/- अस्पष्ट
॥एम0जे0रिजवी॥	॥ रामेश्वर दयाल ॥	॥ उत्पल कुमार सिंह ॥
संयुक्त निदेशक	अधिशासी अभियन्ता	परगनाधिकारी, रानीखेत
प्राविधिक शिक्षा, पर्व0	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि	
पौड़ी गढ़वाल	रानीखेत	

True copy Attested.

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
अल्मोड़ा.